

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF)राजस्थान, जयपुर।

Email-faforest144@gmail.com Ph.No. 0141-2700086

क्रमांक एफ ( ) 2021-22/वि.बैठक/लेखा/प्रमुवसं/ 7722-52

दिनांक : 14. 02.2022

निदेशक, राज, वानिकी एवं वन्यजीव प्रशि. संस्थान, राज. जयपुर।

मुख्य वन संरक्षक, जयपुर/कोटा/भरतपुर/उदयपुर/विभागीय कार्य जयपुर/ आर.वी.पी. कोटा।

मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव, उदयपुर/कोटा/सरिस्का अलवर/ बाघ परि. रणथम्भौर सवाई माधोपुर।

उप वन संरक्षक, झुंझुनू/सीकर/अलवर/झालावाड़/कोटा/भरतपुर/सवाई माधोपुर/धौलपुर/बांसवाडा/चित्तौड़गढ़

/उदयपुर/वन्यजीव चित्तौड़गढ़/वन्यजीव जयपुर/विभागीय कार्यमण्डल बीकानेर/उप वन संरक्षक, प्रशिक्षण, जयपुर।

भू-संरक्षण अधिकारी चम्बल परि. बेंगू/उप वन संरक्षक, बाघ परियोजना मुकुन्दरा अभयारण्य कोटा।

उप निदेशक बाघ परियोजना सवाई माधोपुर/उप वन संरक्षक, चम्बल घडियाल अभयारण्य परि. सवाई माधोपुर।

विषय:-विभागीय लेखा सम्बन्धी बिन्दुओं के सम्बंध में बैठक आयोजन बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि वन विभाग के निम्नलिखित लेखा सम्बन्धी बिन्दुओं की दिनांक 17.02.2022 को दोपहर 12.30बजे विडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कक्ष संख्या A-115 प्रथम तलपर बैठक रखी गई है।

बैठक दिनांक 17.02.2022 के लिए विचारार्थ कार्य सूची

- 1 असमायोजित वन अग्रिम
- 2 राजस्व लक्ष्य एवं प्राप्ति
- 3 बकाया ओ.बी.आईटम
- 4 असमायोजित चैक्स
- 5 निरीक्षण विभाग के विशेष जांच की बकाया अनुपालना

वरिष्ठतम लेखाकर्मी/कार्मिक को उक्त बैठक में विडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपने अधीनस्थ कार्यालयों को समस्त बिन्दुओं की पूर्ण सूचना के साथ बैठक में उपस्थित होने हेतु पाबन्द करें।

विडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक में भाग लेने के लिये मिटिंग लिंक एवं पिन नम्बर ई-मेल जरिये भिजवाये जायेगे।

भवदीय

ED

(डॉ. देवराज)

वित्तीय सलाहकार

वन विभाग

राजस्थान जयपुर।

क्रमांक एफ ( ) 2021-22/वि.बैठक/लेखा/प्रमुवसं/ 7753-67

दिनांक : 14. 02.2022

प्रतिलिपि:निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. उप वन संरक्षक, आई.टी. शाखा, अरण्य भवन, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त बैठक में विडियो कॉन्फ्रेंस की समुचित व्यवस्था करने का कष्ट करे।
2. कम्प्यूटर शाखा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय ई-मेल/बेवसाइड पर अपलोड करने का कष्ट करे।
3. मुख्य लेखाधिकारी कैम्पा जयपुर/वरिष्ठ लेखाधिकारी वन्यजीव जयपुर।
4. वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी लेखा शाखा कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि उक्त बिन्दुओं से सम्बन्धित सूचना के साथ बैठक में उपस्थित होवे।
5. निजी सहायक, वित्तीय सलाहकार कार्यालय हाजा।
6. सम्पदा अधिकारी, अरण्य भवन, जयपुर को मीटिंग हेतु आवश्यक समुचित व्यवस्था करने हेतु प्रेषित है।
7. संबंधित कनिष्ठ लेखाकार लेखा शाखा, कार्यालय हाजा नवीनतम पूर्ण सूचनाओं के साथ बैठक में उपस्थित होवे।

ED

वित्तीय सलाहकार

वन विभाग

राजस्थान जयपुर।